

श्री सिद्धि विनायक

अब नियमित सेवाएं मंदसौर में उपलब्ध

हृदय रोगों के उपचार में अंचल का जाना पहचाना नाम

हृदय रोग विशेषज्ञ

डॉ. पवन मेहता

MBBS, M.D. (Medicine) | DM (Cardiology)

Consultant Interventional Cardiology

परामर्श समय - प्रतिदिन प्रातः 10:00 से सां. 5:00 बजे तक

12, दशरूप कुंज रोड, सिविल हॉस्पिटल के सामने, मंदसौर (म.प्र.) 07422-490333

राजमार्ग पर डोडाचूरा के रिटेलर..!

ढाबों पर ट्रक चालकों को बेचा जा रहा डोडाचूरा, थाना पुलिस भी सेट..?



मंदसौर, 7 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में जिले से मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आते हैं। लेकिन, लंबे समय से ढाबों पर डोडाचूरा बिकने की बातें भी सामने आ रही है। स्थिति यह है कि रिटेल में डोडाचूरा गोली, चाकलट की तरह बिक रहा है। इस बात पर मल्हारगढ़ पुलिस की दो दिन पहले की कार्रवाई ने फिर से मुहर लगा दी। जिसमें महज 75 किलो डोडाचूरा लाकर ढाबा मालिक ने ढाबे पर रखा था। कुछ समय पहले दलौदा पुलिस ने भी कार्रवाई की थी। जिसमें आरोपी ने बताया था कि डोडाचूरा छोटे छोटे पैकेट में भरकर ट्रक चालकों को बेचा जाता है। अभी तक इस तरह की अनेक कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि जहां अवैध शराब को ढूंढने के लिए कई बार कार्रवाई की जाती है। उस तरह से मादक पदार्थों की खोज के लिए ढाबों तक पुलिस नहीं पहुंचती। यहां उसके मुखबीर तंत्र भी फैल हो रहे हैं।

लगातार ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसमें पुलिस दस किलो या बीस किलो या पचास किलो डोडाचूरा जब्त कर रही है। यह तय है कि 10, 20, 50 किलो डोडाचूरा हरियाणा या पंजाब या अन्य किसी राज्य में नहीं जा रहा था। तय है कि डोडाचूरा की सप्लाय जिले में ही नहीं न कहीं हो रही है। डोडाचूरा का होलसेल और रिटेल बाजार जिले में तैयार हो चुका है। अगर यह कहे कि यह एक बड़ी गैंग बन चुकी है तो भी गलत नहीं होगा। गोली बिस्कीट की तरह कंपनी, होलसेलर और उसके बाद रिटेलर के पास माल पहुंच रहा है। रिटेलर के पास पहुंचने के बाद उस छोटे छोटे पैकेट में भरा जाता है। यह पैकेट राजमार्ग पर ट्रक चालकों को बेचे जाते हैं। इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से मंदसौर जिला डोडाचूरा के अवैध धंधे की जड़ में आ चुका है।

इसलिए करते हैं डोडाचूरा का नशा...

लोग मंदसौर से इंदौर तक जाने में ही पीठ दर्द की शिकायत करने लग जाते



कार-टैकर की भिड़ंत में पिता की मौत, पुत्र गंभीर घायल

मांगलिक आयोजन से लौट रहे थे, खेरखेड़ा के निकट हुई दुर्घटना

शामगढ़, 7 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। मांगलिक कार्यक्रम से अपने घर लौट रहे एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र गंभीर घायल होगा। पिता-पुत्र मांगलिक आयोजन से लौट रहे थे, इसी दौरान खेरखेड़ा के निकट कार व टैकर की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बड़े अस्पताल लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की शाम 4.30 बजे खेरखेड़ा

टोलबूथ के नजदीक शामगढ़ से आ रही कार क्रमांक एमपी 44 सीए 2063 को सामने से आ रहे फ्यूल टैकर क्रमांक आरजे 17 जीए 8174 ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार भरत कुमार पिता रामलाल फरक्या उम्र 50 साल निवासी मल्हारगढ़ की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, कार चला रहा उनका पुत्र हर्षित पिता भरत कुमार उम्र 22 साल गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को एम्बुलेंस की सहायता से

सीतामऊस्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने पिता भरत फरक्या को मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटे हर्षित का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है की दोनों पिता पुत्र शामगढ़ में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रह थे। इसी दौरान खेरखेड़ा टोल बूथ के निकट हादसे का शिकार हो गए। मामले में सीतामऊपुलिस ने टैकर को जब्त कर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।



करेगा, जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आगे उप-वर्गीकृत करने का अधिकार नहीं है. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह की दलीलों का सारांश देते हुए कहा,

इन जातियों को बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? आपके अनुसार एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है. वे उस श्रेणी में आगे हैं. उन्हें उससे बाहर आकर जनरल से मुकाबला करना चाहिए. वहां क्यों करें? जो पिछड़े में अभी भी पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलने दो. एक बार जब आप आरक्षण की अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको उस आरक्षण से बाहर निकल जाना चाहिए. महाधिवक्ता ने कहा, यही मकसद है. यदि वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो जिस उद्देश्य के लिए यह अभ्यास किया गया था वह समाप्त हो जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम निवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया कि वह सिर्फ मात्रात्मक डेटा से संबंधित तर्कों में नहीं पड़ेगी, जिसके चलते पंजाब सरकार को कोर्ट के अंदर 50 फीसदी कोटा प्रदान करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट उन 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दे दी गई है. इसमें पंजाब सरकार की मुख्य अपील भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ अब इस सवाल की जांच कर रही है कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंदर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या राज्य विधानसभाएं इस अभ्यास को करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाने वाले कानून पेश करने में सक्षम हैं।

उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास

बनेगा समान कानून लागू करने वाला पहला प्रदेश

देहरादून, 7 फरवरी। उत्तराखंड राज्य ने इतिहास रच दिया है। बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल पास होगा। इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी का नून लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विधेयक को सदन में पेश किया था। प्रस्ताव पारित होने से पहले बिल पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के तहत यह अधिकार दिया कि प्रदेश उचित समय पर यूसीसी लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'इसे लेकर लोगों के मन में संदेह है हमारी



दान राशि गणना - श्री पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटी से प्राप्त दान राशि की गणना का कार्य 07 फरवरी को किया गया। जिसमें बुधवार को 19 लाख 24 हजार 800 रुपए प्राप्त हुए। शेष गणना का कार्य गुरुवार को किया जाएगा।

एक सप्ताह से सर्वर डाउन...

आरटीओ के उपभोक्ता परेशान लाइसेंस सहित कई काम अटके

मंदसौर, 7 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। मेरे लर्निंग लाइसेंस का समय अब पूरा होने वाला है, अब अपना परमानेंट लाइसेंस बनवाना है। इसके लिए कई दिनों से लगातार वेबसाइट पर ट्राई कर रहा हूं, मगर सर्वर डाउन दिखाई दे रहा है। जिसके बाद मैं आरटीओ कार्यालय भी गया। मगर वहां कम समय में बड़ा आदमी बनने के चक्कर में कई युवा इस गौरखधंधे की ओर बढ़ रहे हैं।

ग्रामीण की गाली देने वाले एसडीएम को सीएम ने हटाया

रतलाम, 7 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्रता करने वाले एसडीएम को सीएम डा. मोहन यादव ने हटा दिया है।

अपने एक्स हैंडल पर सीएम ने लिखा की ग्रामीणों से अभद्रता का कृत्य, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मेरे निर्देश पर एसडीएम को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। सुशासन हमारा मूल मंत्र है। मध्यप्रदेश में नागरिकों से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रतलाम जिले के जावरा एसडीएम अनिल भाना का किसानों को गालियां देते हुए वीडियो मंगलवार को सामने आया था। इसमें किसान उनसे कह रहे हैं, साहब, गलत शब्द मत कहिए। प्यार-मोहब्बत से बात करिए। एसडीएम कहते हैं, तुम एक गाली दोगे तो मैं पच्चीस गालियां दूंगा। मेरे से तमीज से रहना। मुझे जानते नहीं हो। एक किसान से उन्होंने यह तक कहा, समझ नहीं आणा, कहा जाएगा। मामला सोमवार का है। बड़ायला चौरासी के किसानों ने यहां रेलवे का दोहरीकरण, गुडघाई और एप्रोच रोड का काम रुकवा दिया था। वे ज्यादा मुआवजा और नए अंडरपास की मांग कर रहे थे। एसडीएम रेलवे अफसरों के साथ उन्हें समझाने पहुंचे थे।

जंगल में मिली हाथ-पैर बंधी लाश

रतलाम, 7 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। जिले के बाजना थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मंगलवार रात जंगल में मिला। जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। अंडरवेयर के अलावा शरीर पर अन्य कोई कपड़े नहीं थे। जिस अवस्था में शव मिला है, इसे देख पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। बाजना थाना प्रभारी मोहनसिंह मोर्य ने बताया कि शाम को सूचना मिली थी कि बाजना-कुंदनपुर मांडलिया का घाट जंगल में शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंच कर देखा तो शव के हाथ-पैर बंधे हुए थे। सिर से खून निकला हुआ था। चोट के निशान थे। शव 30 से 35 साल के युवक का है। मौके पर एफएसएल अधिकारी अतुल भित्तल भी पहुंचे। आसपास क्षेत्र में पुलिस ने भी जांच की। शव को बाजना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बुधवार सुबह पीएम किया गया। थाना प्रभारी मोर्य के अनुसार युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मर्ग कायम किया है। हत्या की आशंका के चलते जांच की जाएगी।

सारथी व वाहन-चार का सर्वर घीमा चलना है। 6 दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं। यहां फिटनेस और अन्य काम नहीं हो पा रहे हैं। फिटनेस कराने से पहले आवेदक के मोबाइल पर ओटीपी जनरेट होता है, लेकिन सर्वर ठप होने से ओटीपी ही नहीं आ रहा। ऐसे में फिटनेस का काम अटका हुआ है।

मंगलवार की सिर्फ 15 मिनट चला सर्वर... मंगलवार को दोपहर में कई बार सर्वर शुरू हुआ, जिसमें फिटनेस आदि के इक्का दुक्का काम किए गए, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन आदि की फाइलें भी

मल्हारगढ़ के युवक की जीरन में हत्या..?

संदिग्ध अवस्था में मिली लाश, डाक्टरों के पैनल ने किया पीएम नीमच, 7 फरवरी गुरु एक्सप्रेस। जिले के जीरन थाना क्षेत्र के सगर ग्राम तालखेड़ा मार्ग पर बुधवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर जीरन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बड़े अस्पताल भेजा गया। वहीं सूचना पर मृतक के समाज जन, परिजन और ग्रामीण भी बड़े अस्पताल पहुंचे। जहां हत्या की आशंका के बीच डॉक्टरों के पैनल पर पोस्टमॉर्टम कराया गया। जानकारों के मुताबिक, जिले के जीरन थाना क्षेत्र के सगरग्राम-तालखेड़ा मार्ग पर गांव बरखेड़ा के पास सड़क किनारे एक 33 वर्षीय युवक सुंदर लाल पिता रामेश्वर गुर्जर निवासी खेरखेड़ा तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर का शव पड़ा मिला। जिसके पास उसकी मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी। मार घटना स्थल के हालात को देखकर परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जाहिर की। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई है। बाइक को इस तरह से रखा गया था जिससे लोगो को हादसा प्रतीत हो।

उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास

विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गया. उन्होंने कहा, 'ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है। ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए हैं। जिन्हें कुरीतियों के कारण यातनाओं का सामना करना पड़ता था।'

राज्यपाल के पास भेजा जाएगा

यूसीसी बिल पास होने के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह के पास भेजा जाएगा। गवर्नर के हस्ताक्षर होते ही कानून बन जाएगा। इससे उत्तराखंड के सभी लोगों पर समान कानून लागू हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। समान नागरिक संहिता का वादा बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किया था। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनते ही इसे लेकर समिति बन गई थी। इस समिति ने लाखों सुझावों के बाद यूसीसी

का ड्राफ्ट तैयार किया। **उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू होने के क्या बदल जाएगा?**

1. बेटे और बेटों का प्रॉपर्टी में समान अधिकार होगा। 2. किसी व्यक्ति की मौत होने पर यूनिफॉर्म सिविक कोड संपत्ति को पति /पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देगा। उस शक्ख केमाता-पिता को प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलेगा। 3. पति-पत्नी को तलाक आधार और एकजैसे कारण होने पर ही मिलेगा। एक पक्ष के कारण तलाक नहीं मिल सकेगा। 4. लिव इन में रहने वालों को इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सेल्फ डिवलेशन जैसा है। इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को फ्रूट मिलेगा। 5. लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी ही इसे लेकर समिति बन गई थी। इस को उसकी उठानी पड़ेगी। उन्हें बच्चे को अपना नाम देना होगा।

र	वि	ल	क	र	सु	व
अ	ल	ख	म		म	क
उ	य		र	वम	र	
घ		सू		म		म
ट	ह	स		य		म
	नु		स	नी	म	अ
उ	म	ल	ई		ड	ल
न	न	द		प	क	



